

FORM-1

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector:Almora**

No---

Dated--- 11/9/2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.225 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand)** for **Ranikhet Jalali Masi motor road Panghat to Guloli link Road (Length 2.00 KM.) in Almora** district falls within jurisdiction of Guloli village (s) in Ranikhet tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashish Kumar Srivastava, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 11/9/2015 at time 4:35 PM at Almora in which application claiming rights in Guloli area measuring 0.225 hectares, for the Ranikhet Jalali Masi motor road Panghat to Guloli link Road (Length 2.00 KM.) in Almora of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ranikhet sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated:11/9/15


**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

प्रारूप—30.2

परियोजना का नाम— रानीखेत जालली मासी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते हुये अभ्याडी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.225 हेक्टर वन भूमि) का लो०नि०वि० रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील रानीखेत) की दिनांक 10/9/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजेश खाजपेटी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्री राजेश खाजपेटी उपजिलाधिकारी रानीखेत, अध्यक्ष
- 2— श्री कृष्ण कुमार लिंग उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत, सदस्य
- 3— श्री पी.सी.पत्ता सहायक समाज कल्याण अधिकारी रानीखेत, सदस्य / सचिव
- 4— श्री मनोज रवद्वय पाठुड़ बौद्धी०सी० थेट्र सेवा पंचापत गोड़े, सदस्य रवद्वय पाठुड़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ को गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत जालली मासी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते हुये अभ्याडी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत रानीखेत जालली मासी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते हुये अभ्याडी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.225 हेक्टर वन भूमि— निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

पन्द्रहर से गुलोली होले हुपे अम्पाई ती झोर
टींडोंग मोहर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :-

फलडाई

तहसील :-

रानीखेत

जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड ताडीखेत के अन्तर्गत पन्द्रहर-

में गुलोली-अम्पाई मोटर मार्ग के निर्माण (२.०० किमी) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि ०.५० है। सिविल सोयम भूमि ०.५० है। तथा वन पंचायत भूमि ०.२२५ है। अर्थात् कुल वन भूमि ०.२२५ है। वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फलडाई द्वारा दिनांक ६/१०/१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फलडाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो० निर्माण विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

Suresh
ग्राम पंचायत नियंत्रण विभाग
फलडाई विधान सभा संसदीय विधायिका
लो० १० रानीखेत

ग्राम प्रधान

Vidyut
प्रधान
ग्राम पंचायत फलडाई
विधान सभा संसदीय विधायिका
लो० १० रानीखेत (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 06-08-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति












ग्राम-गुलोली

ग्राम पंचायत फल्छाड़ी

क्रम सं.

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

- (1) - श्री- दलीप कुमार 
- (2) " गोविंद बलामश किंद 
- (3) " चन्द्र किंदोर किंद 
- (4) " दीपा चंद्र किंद ५/० श्री जगदल सिंह 
- (5) " पुरन चंद्र किंद ५/० श्री रमेश राज किंद 
- (6) श्रीमती सरोज किंद 
- (7) श्रीमती मृदुला चंद्र किंद 
- (8) श्रीमती आनिला किंद w/o श्री राजेश चंद्र किंद 
- (9) श्रीमती लीला किंद w/o श्री अमननंदन किंद 
- (10) श्रीमती रुपा किंद w/o श्री अमननंदन किंद 
- (11) श्री रुपन के० किंद - 
- (12) श्रीधीरज चंद्र किंद 
- (13) श्रीमती माया किंद w/o श्री जगदीप चंद्र किंद 
- (14) श्रीमती उमा किंद 
- (15) श्रीमती मुन्ना किंद w/o श्री हरीश चंद्र किंद 
- (16) श्री आनंद वल्लभ किंद 
- (17) श्री गोरी शंकर किंद 
- (18) श्रीमती इजा किंद w/o श्री दीपकुल किंद 
- (19) श्री नरेश्वर चंद्र किंद 
- (20) " मुन्ना चंद्र किंद 
- (21) " चंद्र शेखर किंद - 
- (22) " हरीश चंद्र किंद ५/० ज. श्री राधावन्देश
- (23) श्रीमती डॉ लक्ष्मी श्रीमती विद्या किंद

ताडारा
प्रधान
ग्राम पंचायत फल्छाड़ी
विं खंड ताडारा खेत (अल्मोड़ा)